

निवासी 24 ओ भुदटीवाला तहसील श्रीकरणपुर को आर
अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।
अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक
21.05.2024 को पेश हो। ✓

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्री करणपुर

21 $\frac{5}{24}$

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची की
तलवी प्राप्त नहीं। अप्राची की तलवी
पंजीकृत डाक से करवाए जाने के आदेश
दिए जाते हैं। पत्रावली वारंते तलवी
दिनांक 25/6/24 को पेश हो। ✓

25 $\frac{6}{24}$

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची की
तलवी हेतु सम्मन, तलवाना पेश हो।
पत्रावली वारंते तलवी दिनांक 6 $\frac{8}{24}$
को पेश हो। ✓

6 $\frac{8}{24}$

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची की
तलवी हेतु सम्मन, तलवाना पेश हो।
पत्रावली वारंते तलवी दिनांक 28/8/24
को पेश हो। ✓

28 $\frac{8}{24}$

प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची
अधिवक्ता को एक-2 कर उबार आवाप
लगावाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया।
प्राची का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 RTA अंशमें पेश की, अंश हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय
होकर गम्बर से पत्र हाकर वापिस
दफ्तर हो। ✓

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

